

नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

जवाब  
जाता है।  
को पेशा हो  
जाता है।  
6, 8 की  
3 के वकील  
यायदित में  
से जवाब  
गदेश

16445 वकील उभयपक्ष उपर है। कदस हेतु पत्रावली  
दि० 13-3-15 को पेश हो। T.I. आदेश आगामी  
पेशी तक बढ़ाया जाता है।

13-3-15 पत्रावली पेश हुई/वकील बारी/वकील  
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. का  
दौर पर है। अदालत पर है/कम स्वामित्व पर  
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 10-4-15  
की जाए।

रज

10-4-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। कदस  
सुनी गई। कदस के दौरान उभयपक्ष के वकील  
वादग्रस्त भूमि को ताफैसला दावा रहन, वय  
नही करने पर सहमत हुए हैं। अतः उभयपक्ष  
को ताफैसला दावा जारी। अस्थाई निषेधाज्ञा  
पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि  
स्व० नं०  $\frac{194}{0.65}$ ,  $\frac{195}{1.99}$ ,  $\frac{457}{0.28}$ ,  $\frac{458}{0.31}$ ,  $\frac{470}{0.31}$ ,  
 $\frac{471}{0.11}$ ,  $\frac{472}{0.61}$ ,  $\frac{473}{0.58}$ ,  $\frac{474}{0.02}$  चाहे,  $\frac{476}{0.87}$ ,  $\frac{477}{0.19}$   
ग्राम मोतीपुर स्व० नं०  $\frac{394}{0.38}$ ,  $\frac{459}{0.34}$ , ग्राम  
मोतीपुर को ताफैसला दावा रहन, वय नही करे।  
पत्रावली फैसला नुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं  
काद तकमील मूल्य वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी

का/दि

दि

प वाव सी  
व 3